

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री हेमराज पिता माना डांगी निवासी विकरणी तहसील घासा जिला उदयपुर।
2. श्री केवलराम पिता माना डांगी निवासी विकरणी तहसील घासा जिला उदयपुर।
3. श्रीमती रूपीबाई पत्नी स्व. माना डांगी निवासी विकरणी तहसील घासा जिला उदयपुर।
4. श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्व. माना डांगी निवासी विकरणी हाल मुकाम गन्दोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती चतरूबाई पत्नी भंवरलाल निवासी बडी होली तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
2. श्री मोहनलाल पिता देवीलाल माली निवासी बेदला तहसील बडगांव जिला उदयपुर।
3. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी मोहनलाल माली निवासी बेदला तहसील बडगांव जिला उदयपुर।
4. श्री कैलाश पिता जगदीशचन्द्र दमामी निवासी कबुतर चौक भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
5. श्री गंगाराम पिता दौला डांगी निवासी विकरणी तहसील घासा जिला उदयपुर।
6. श्री कन्हैयालाल पिता अमरा डांगी निवासी विकरणी तहसील घासा जिला उदयपुर।
7. श्री नवलराम पिता स्व. अमरा डांगी निवासी विकरणी तहसील घासा जिला उदयपुर।
8. श्रीमती उदी पुत्री अमरा पत्नी हीरालाल डांगी निवासी विकरणी हाल मुकाम झंझेला तहसील घासा जिला उदयपुर।
9. श्रीमती रम्भा पुत्री स्व. अमरा पत्नी जीवराज डांगी निवासी विकरणी हाल मुकाम घासा दुधलाई, तहसील घासा जिला उदयपुर।
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 193/25 (वाद) GCMS No. – 2025/403

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 जा.दी. से बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.08.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)

सहायक कलेक्टर

(SDO) मावली